मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 125 / 2025

रणवीर पुत्र रोशनलाल जाति जाट साकिन वार्ड नं. 2 जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. रोशनलाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. निर्मला पुत्री रोशनलाल पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7 न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. उर्मिला पुत्री रोशनलाल पत्नी जयनारायण जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7 न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण **दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

डिक्री

दिनांक :— 30/10/2025

वादी की ओर से श्री शलैन्द्र नायक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – **वादी को प्राप्त कृषि भूमि** – चक 4 एस. टी.बी. के खाता सं. 84/82 की कुल 6.2010 हैक्. कमाण्ड मय गैर.मु. खाला खातेदारी में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है व चक 11 जेड.डब्ल्यू.डी. के खा सं. 33/28 की कुल 5.7560 हैक्. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अमल अलावा प्राप्त किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/चरागाह आदि जो है वही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:36 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा